प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक १६ मार्च, 2017

विषय- मण्डल/जिला कार्यालय अधिष्ठान व्यय मद के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4300/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रा0/2016-2017, दिनांक 15.02.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मण्डल/जिला कार्यालय अधिष्ठान व्यय के मानक मद-15-वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 03.00 लाख तथा मानक मद-17-किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व मद में रू0 03.00 लाख की आवश्यकता को दर्शाते हुए उक्त मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय (आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-001-04 के अन्तर्गत मानक मद-15-वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 03.00 लाख तथा मानक मद-17-किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व मद में रू0 03.00 लाख अर्थात् कुल रू0 06.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-001-04 के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 06**.00** लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र

UniCode Gov. Inter College. G.O

सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय-15-वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा मानक मद-17-किराया उपशुल्क/कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-179/दस-2017, दिनांक 08.03.2017 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-बी0एम0.9 प्रपत्र(मूलरूप में)</u>

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या-403(1)/बावन-1-2017, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(ई-11) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
5- सम्बन्धित सहायक।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीना नाथ)
उप सचिव।

http://upsanadesh.up.nic.in